आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)परीक्षा/अकाद/आकाशि/2020/ 1008 दिनांकः 30/06/2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धक)
राजस्थान।

विषय :– विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 के आयोजन में कोरोना महामारी (Covid-19) के लिए आवश्यक निर्देशों की पालना के लिए शपथ–पत्र प्रेषित करने बाबत।

सन्दर्भ :– परीक्षा/विविध/2020/1998 दिनांक 23.06.2020 एवं एफ.4/परीक्षा विविध/ 2020/1964–89 दिनांक 22.06.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों मय संलग्नकों के प्रेषित कर आपको निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 के आयोजन में कोरोना महामारी (Covid-19) के लिए आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए शपथ–पत्र पांच दिवस में सीधे ही परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर सूचित करने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि –

1. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय को सम्बन्धित को मेल/अपलोड करने बाबत।

30/06/2020
(डा. दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

क्रमांकः– परीक्षा विविध/2020/1998 दिनांकः– 23/6/2020

आयुक्त,
कॉलेज आयुक्तालय,
राजस्थान सरकार,
जे. एल. एन. मार्ग, जयपुर।

विषय :– विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 के आयोजन मे कोरोना महामारी (COVID - 19) के लिए आवश्यक दिशा – निर्देशों की पालना के लिये शपथ – पत्र बाबत्।

महोदया,

विश्वविद्यालय परीक्षा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग समिति की अनुशंसा एवं कुलपति के आदेश दिनांक 20.06.2020 की अनुपालना में सूचित कर लेख है कि जयपुर एवं दौसा जिले के सम्बद्ध राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाये हुऐ हैं। परीक्षा – 2020 में कोरोना महामारी (COVID - 19) के संक्रमण के बचाव के लिये भारत/राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा – निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय ने परीक्षा आयोजन के लिये दिशा – निर्देश जारी किये हैं। परीक्षा केन्द्रों पर दिशा – निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिये 100/– रूपये का शपथ – पत्र (नोटरी पब्लिक/ मजिस्ट्रेट द्वारा प्रामाणित) मांगा गया हैं।

अतः महोदय से विनम्र आग्रह हैं कि विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 के आयोजन में कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव के लिये निर्धारित दिशा निर्देश एवं शपथ पत्र के लिये आप विश्वविद्यालय सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक/प्राचार्य को उक्त आशय की सूचना प्रदान करने के लिये निर्देशित करवाने का श्रम करवायें।

संलग्नः 1. विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र।
2. कोरोना महामारी के लिये दिशा – निर्देश।
3. शपथ –पत्र।

भवदीय

23/6/2020

परीक्षा नियंत्रक

राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

क्रमांक :– एफ–4 / परीक्षा विविध / 2020 /   दिनांकः–

प्राचार्य / केन्द्रधीक्षक

समस्त सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र,

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः–परीक्षा - 2020 के सैद्वान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन कोरोना (COVID - 19) के दिशा–निर्देशों की पालना के लिये शपथ पत्र।

महोदय,

परीक्षा - 2020 के सैद्वान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन में परीक्षा केन्द्रों पर कोरोना महामारी COVID - 19 के लिए भारत/राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार परीक्षा का आयोजन करवाना अपेक्षित है इसलिये विश्वविद्यालय के सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों के केन्द्रोंधीक्षक एवं प्राचार्य द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर रूपये 100/– पर शपथ पत्र (जो नोटरी पब्लिक / मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो। परीक्षा केन्द्रों का कोरोना महामारी (COVID - 19) के दिशा – निर्देशों की पूर्णतः पालना की जायेगी। अतः संलग्न शपथ पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय को 5 दिवस में प्रेषित करवाने की व्यवस्था करे।

संलग्नः– 1. कोरोना महामारी के बचाव के दिशा निर्देश।
2. शपथ पत्र का प्रारूप।

Sd/-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक :– एफ–4 / परीक्षा विविध / 2020 / 1964-89   **दिनांकः–** 22/6/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक इन्फोनेट सेन्टर राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर।
2. निजि सचिव, कुलपति / कुल सचिव / वित्त नियंत्रक एवं वित्त सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त उपकुलसचिव / सहायककुलसचिव / अनुभागाधिकारी,राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर।
4. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

उपकुलसचिव (परीक्षा विविध)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

दिशा– निर्देश

प्राचार्य / केन्द्रधीक्षक समस्त सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, परीक्षा – 2020 के सैद्वान्तिक / प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन में कोरोना महामारी COVID - 19 के बचाव के लिए आवश्यक दिशा– निर्देशः–

I. सभी परीक्षार्थियों एवं स्टॉफ के चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। बिना मास्क के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

II. परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों को दो गज की सामाजिक दूरी (Social Distancing) के अनुरूप बैठाने की व्यवस्था रहेगी और परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र में आने एवं जाने के समय एवं परिसर में भी सामजिक देरी की पालना की जायेगी।

III. परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति दी जावें ताकि थर्मल स्कैनिंग, दूरी (Social Distancing) सेनेटाईजिंग आदि की व्यवस्था परीक्षा केन्द्र द्वारा समय पर की जा सके।

IV. परीक्षा केन्द्र के प्रवेश एवं निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाईजर की व्यवस्था करवानी होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाईजर होनें के पश्चात् ही केन्द्र पर अनुमति दी जायेगी।

V. सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र में आम सुविधा और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजों के हैण्डल टेबल, कुर्सी अन्य सभी फर्नीचर आदि को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व परीक्षा कक्ष को प्रति दिन एवं प्रत्येक पारी में सैनेटाईज करवाना होगा।

VI. परीक्षार्थियों की पेयजल की व्यवस्था कक्षा – कक्ष में सीट पर उपलब्ध करवाया जायेगा।

VII. परीक्षा केन्द्र की परिधि में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से सम्बन्धित स्टॉफ के अलावा अन्य सभी को प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

VIII. परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर हैण्डवॉश के लिये पर्याप्त पानी, साबुन और सैनेजाईजर की सुनिश्चिता की जायेगी।

IX. कोविड – 19 महामारी से संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश (एडवाईजरी) की पालना सभी परीक्षार्थियों / विश्वविद्यालय कर्मियों / महाविद्यालयों को करनी होगी।

24/6/2020

परीक्षा नियंत्रक

शपथ पत्र

[redacted]

मैं .... पुत्र/पुत्री .... आयु .... पद ....
प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक कॉलेज का नाम .... के शपथ पूर्वक बायन करता हूँ/करती हूँ की परीक्षा – 2020 के परीक्षा केन्द्रों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश (COVID - 19) की पालना की जायेगी।

1. सभी परीक्षार्थियों एवं स्टॉफ की थर्मल स्क्रेनिंग का तापमान सामान्य होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी और तापमान असामान्य होने पर परीक्षा में सम्मिलित नही करने की पालना की जायेगी।

2. सभी परीक्षार्थियों एवं स्टॉफ को चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। बिना मास्क के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं देने की पालना की जायेगी।

3. परीक्षा केन्द्र में सामाजिक दूरी (Social Distancing) 2 गज की दूरी के अनुरूप बैठने की व्यवस्था रहेगी और परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र में आने एवं जाने के समय एवं परिसर में भी सामाजिक दूरी की पालना की जायेगी।

4. परीक्षा केन्द्र के प्रवेश एवं निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाईजर की व्यवस्था होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्केनिंग, हेण्डवॉश और सैनेटाईजर होने के पश्चात् ही केन्द्र पर अनुमति की पालना की जायेगी।

5. सम्पूर्ण परीक्षा केन्द्र में आम सुविधा और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजों के हैण्डल और टेबिल, कुर्सी सभी परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व सैनेजाईजेशन करने की पालना की जायेगी।

6. परीक्षार्थियों की पेयजल की व्यवस्था कक्षा–कक्ष में सीट पर उपलब्ध करवाया जाने की पालना की जायेगी।

7. परीक्षा केन्द्र की परिधि में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से सम्बंधित स्टॉफ के अलावा अन्य सभी को प्रवेश की अनुमति नही देने की पालना की जायेगी।

8. परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर हैण्डवॉश के लिये पर्याप्त पानी, साबुन और सैनेजाईजर की व्यवस्था करवाये जाने की पालना की जायेगी।

9. कोरोना (COVID - 19) के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा समय – समय पर जारी दिशा–निर्देश (एडवाईजरी) की पालना की जायेगी।

शपथ ग्रहिता

मै प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक .... शपथ पूर्व तस्दीक करता हूँ/ करती हूँ कि शपथ पत्र में दर्ज संख्या 1 से 9 एवं राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा अन्य दिशानिर्देशों की पालना मेरे परीक्षा केन्द्र द्वारा की जायेगी।

शपथ ग्रहिता